148

संख्याः /XXXVIII/11-49/2011

प्रेषक,

अरूण कुमार ढ़ौडियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र,
देहरादून।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग

देहरादूनः दिनॉकः 23 अगस्त, 2011

विषयः वित्तीय वर्ष 2011-12 में आयोजनागत पक्ष में उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र के अन्तर्गत हिमनद प्राधिकरण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में अनुदान संख्या-23 के मुख्य लेखाशीर्षक 3425 के प्राविधानित धनराशि रू0 765.02 के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 465.02 लाख में से **रू0 50,00,000.00 (रू0 पचास लाख मात्र)** की धनराशि उत्तराखण्ड हिमनद प्राधिकरण के गठन किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1. स्वीकृत धनराशि का आवश्यकतानुसार कोषागार से आहरण किया जायेगा और मदवार आवश्यकतानुसार ही व्यय की जायेगी। उक्त धनराशि प्राधिकरण के वित्तीय दायित्वों के निर्वहन के लिए स्वीकृत की जा रही है। इसके लिए एक कार्पस फण्ड तैयार किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि उक्त कार्पस फण्ड में रखी जाएगी।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन हो अर्थात आवंटित धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। उक्त निर्देशों का अनुपालन न होने की दशा में संबंधित का उत्तर दायित्व होगा।

3. व्यय करने से पूर्व जहॉ सक्षम अधिकारी का प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आवश्यक हो, वहॉ ऐसे व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही व्यय किया जायेगा।

4. व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, अतः मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

5. वर्षान्त पर सम्पूर्ण आवंटित धनराशि का व्यय विवरण व उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा किये गये कार्यो का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. स्वीकृत धनराशि के बिल जिलाधिकारी, देहरादून से प्रतिहस्ताक्षरित कराने के उपरान्त कोषागार में जमा कराते हुए धनराशि आहरित की जाए।

2/-

7. उक्त धनराशि स्वीकृत किये जाने पर उसकी प्रतिपूर्ति अनुपूरक अनुदानों से तत्समय कर ली जाए।

8. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अनुदान संख्या–23 मुख्य लेखाशीर्षक 3425–अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान–60–अन्य–004–अनुसंधान तथा विकास–05–अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र की स्थापना–00–आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत मानक मद संख्या–20–सहायक अनुदान/अशंदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

9. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 76P/वि0अनु–5/11, दिनॉकः 16 अगस्त, 2011 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरूण कुमार ढ़ौडियाल)
सचिव।

संख्याः 420 (1)/XXXVIII/11–49/2011, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : –

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–5,
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. बजट अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
8. निजी सचिव–प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
अनु सचिव।